पत्र संख्या–11/आ० वि०–20/2026 सा०प्र०14910/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार (भा०प्र०से०),
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।
सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना।
सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना।
सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक 17.08.26

विषयः– **गुणागुण (Merit) के आधार पर चयनित आरक्षित (Reserve) कोटि के अभ्यर्थियों की गणना के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–1991 (अधिनियम संख्या–3/1992) मूल अधिनियम है, जिसे बिहार विभाजन के पश्चात संशोधित करते हुए संशोधित अधिनियम–17/2002 के रूप में अधिनियमित किया गया है, जिसमें आरक्षित वर्गों को दिये जाने वाला आरक्षण प्रतिशत निम्न रूप से संसूचित है–

अनुसूचित जाति	–	16 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	–	01 प्रतिशत
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	–	18 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	–	12 प्रतिशत
पिछड़े वर्गों की महिलायें	–	03 प्रतिशत
	कुल	**50 प्रतिशत**

बिहार अधिनियम–16 / 2003 द्वारा बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में), आरक्षण अधिनियम–2003 पारित किया गया है।

नामांकन में आरक्षण का विनिमयन– (1) पूर्णतः या अंशतः सहायता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन निम्नलिखित रीति से विनियमित किया जा सकेगा, यथा–

(क) खुली गुणागुण कोटि से – 50 प्रतिशत

(ख) आरक्षित कोटि से – 50 प्रतिशत

(2) आरक्षित कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियों में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियों, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्याधीन निम्नलिखित रूप में होगी–

अनुसूचित जातियां	–	16 प्रतिशत
अनुसूचित जनजातियां	–	01 प्रतिशत
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	–	18 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	–	12 प्रतिशत
पिछड़े वर्गों की महिलायें	–	03 प्रतिशत
		कुल 50 प्रतिशत

उल्लेखनीय है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए) बिहार अधिनियम–2 / 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू होने के उपरान्त सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने वाले पदों को सभी वर्गों के लिए निम्नवत विनियमित किया गया है:–

(क) गैर आरक्षित (खुली गुणागुण कोटि) से – 40 प्रतिशत

(ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग – 10 प्रतिशत

(ग) आरक्षित कोटि से – 50 प्रतिशत

बिहार अधिनियम–3,1992 (मूल) एवं बिहार अधिनियम–16, 2003 में यह प्रावधान है कि "आरक्षित कोटि के उम्मीदवार, जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, की गणना खुली गुणागुण कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध की जायेगी, न कि आरक्षित कोटि की रिक्तियों के विरूद्ध।"

साथ ही बिहार अधिनियम–2, 2019 में भी स्पष्ट प्रावधान है कि "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार, जो अपने गुणागुण (Merit) के आधार पर चुने जाते हैं, की गणना खुली गुणागुण कोटि में की जायेगी।"

विभिन्न स्त्रोतों से यह सूचना मिल रही है कि कतिपय विभागों / आयोगों द्वारा वर्णित प्रावधानों का शत्–प्रतिशत अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः बिहार अधिनियम–3/1992 (मूल), 16/2003 एवं 02/2019 में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में पुनः स्पष्ट करते हुए यह परिचारित किया जाता है कि **बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में "आरक्षित कोटि के उम्मीदवार, जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, की गणना खुली गुणागुण कोटि की रिक्तियों के विरूद्ध की जाय, न कि आरक्षित कोटि की रिक्तियों के विरूद्ध।"**

अतएव अनुरोध है कि इस प्रावधान का शत् प्रतिशत् अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

14/08/26.

(रजनीश कुमार)

सरकार के अपर सचिव।